

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-05/2025- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० रेणु कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बॉसविगहा, धनरूआ, पटना के द्वारा दिनांक-01.05.2026 से 30.04.2027 तक कुल-365 (तीन सौ पैसठ) दिन उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-751(25), दिनांक-04.04.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० रेणु कुमारी को 01 (एक) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-05/2025- 1787(2) पटना, दिनांक 27/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनरूआ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० रेणु कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बॉसविगहा, धनरूआ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

25/7/2026
सरकार के अवर सचिव